संख्या- 8/2017 / जी-2- 75 /दस-2017-01(वे0सं0)/2017

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 07 जून, 2017

विषय -: **पदोन्नति पर मूल नियम-22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की सुस्पष्ट व्यवस्था वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22(बी)(1) के अंतर्गत प्राविधानित है। किसी सरकारी सेवक के किसी अन्य पद जिसके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उसके द्वारा धृत पद से संबंधित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो, पर नियुक्ति/पदोन्नति पर शासनादेश संख्या-जी-2-854/दस-333/86, दिनांक 17 सितम्बर,1988 द्वारा संबंधित सरकारी सेवक को उसके विकल्प के अनुसार पदोन्नति की तिथि को अथवा उसकी अगली वेतनवृद्धि की तिथि को क्रमश :मूल नियम-22(बी)(1) तथा मूल नियम-22(ए)(1) एवं 22(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित किए जाने की स्पष्ट व्यवस्था की गयी है।

2- दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रभावी किए जाने तथा समस्त सरकारी सेवकों की वेतनवृद्धि की तिथि 01 जुलाई निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप पदोन्नति पर उनके विकल्प के अनुसार वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश संख्या-जी -2-212 /दस-2009-333/86, दिनांक 03 मार्च, 2009 द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। अब सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के लिये गठित वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों पर दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सरकारी सेवक की प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को मूल नियम-23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम-22(बी)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहेगा।

3- नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप संशोधित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की दो तिथियॉ निर्धारित की गयी हैं। ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जायेगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी। ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच(दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन दिया गया है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव

संख्या- 8/2017/ जी-2- 75(1) /दस-2017-01(वे0सं0)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

(1) महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, (प्रथम/द्वितीय) ।
(2) प्रमुख सचिव विधान सभा / विधान परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) निदेशक, प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
अर्जुन सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।